UPBJ010031712026

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–911/2026

मु0अ0सं0–491/2025
धारा–115(2),351(2),352,296 बी0एन0एस0 व
3(2)5क एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना–चांदपुर, जिला बिजनौर।

दिनांक–25–03–2026

1– यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण **सूफियान** व **मौ0 कासिफ** की ओर से मुकदमा अपराध सं0 491/2025 अन्तर्गत धारा 115(2),351(2),352,296 बी0एन0एस0 व 3(2)5क एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना चांदपुर, जिला बिजनौर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र द्वारा समर्थित है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा केस डायरी एवं उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया। वादी को जमानत प्रार्थना पत्र की सूचना प्राप्त है परन्तु उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

3– संक्षेप में वादी मुकदमा सोमवीर ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी दिनांक 04–09–2025 को पी0एन0बी0 शाखा बास्टा बिजनौर में खाते में 45 हजार रूपये जमा करने गये थे। कैस जमा करने के लिए लाईन में खडी प्रार्थी की पत्नी पूनम के साथ वहीं पर खडा जावेद पुत्र वरीस अहमद प्रार्थी की पत्नी को गन्दे गन्दे कमेन्ट कर रहा था। प्रार्थी की पत्नी ने जब अपने पति को बताया तो प्रार्थी ने पूछा की क्या बात है। वहीं पर बहस होने के बाद जावेद बैंक से बाहर निकल कर 5–6 लडको को बुला लिया। जैसे ही प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी बैंक से बाहर निकले वहीं पर धाक लगाये बैठे जावेद व उसके साथी प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी को पंच व बेल्ट व सरिया से मारपीट करने लगे। प्रार्थी की पत्नी के साथ छेडछाड किया और जाति सूचक शब्द चमार चूढा कहा तथा कहा तुझे आज जान से मार देंगे। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर में प्राथमिकी

Digitally signed by AVDHESH KUMAR
Date: 2026.03.28 16:31:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मु0अ0सं0 491/2025 अन्तर्गत धारा 74,190,191(2),115(2),351(2),352,296 बी0एन0एस0 व धारा 3(2)5क एस.सी.,एस.टी. एक्ट अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 115(2),351(2), 352,296 बी0एन0एस0 व धारा 3(2)5क एस.सी.,एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

4– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थी को उपरोक्त वाद में रंजिश की बिनाह पर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण निर्दोष हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन के विलम्ब से लिखायी गयी है। प्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये समस्त आरोप सात साल तक की सजा से दण्डनीय हैं। सहअभियुक्त की जमानत हो चुकी है। प्रार्थीगण अपनी जमानत दाखिल करने को तैयार है। उक्त कथनों के साथ अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमातन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा व उसकी पत्नी को जातिसूचक शब्दों के साथ गालियां देने, वादी की पत्नी को गन्दे कमेन्ट्स करने, पंच व बेल्ट सरियो आदि से मारपीट करके चोटे पहुंचाने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

6– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा व उसकी पत्नी को जातिसूचक शब्दों के साथ गालियां देने, वादी की पत्नी को गन्दे कमेन्ट्स करने, पंच, बेल्ट व सरिया से मारपीट करके चोटे पहुंचाने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप हैं। दौरान विवेचना अभियुक्तगण को थाने से धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 के नोटिस पर छोडा गया था। अभियुक्तगण अन्तरिम जमानत पर हैं। उसके द्वारा अन्तरिम जमानत के दुरूपयोग का कोई तथ्य नहीं लाया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण को कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। सहअभियुक्त जावेद की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित विधि व्यवस्थां कि0 अपील सं0 838/2021 सिद्धार्थ प्रति उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य निर्णय दिनांक 16–08–2021 एवं सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सी0बी0आई0 मिस0 अपील डायरी नं0 1849 सन 2021 एस.एल.पी. (क्रिम0) 5191/2021 निर्णय दिनॉकित 11.07.2022, दाताराम सिहॅ बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य (2018) 3 एस.सी.सी. 22,माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या सी0एल0 नं0 11 /2023**

/एडमिन जी–II दिनॉकित इलाहाबाद 27.04.2023 के आलोक में अभियुक्तगण जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

अभियुक्तगण **सूफियान** व **मौ0 कासिफ** का उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण के द्वारा अंकन 20,000–20,000/–रूपये (बीस हजार रूपये) की धनराशि के दो–दो जमानती तथा समान धनराशि के व्यक्तिगत बन्ध पत्र दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश
एस.सी/एस.टी(पी.ए.)एक्ट, बिजनौर।
J.O.Code U.P.-06074